न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 20/2022
उनवान गुडडीदेवी वगैरा बनाम पवन कुमार वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

1. गुडडी देवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
3. सुरेन्द्र कुमार पत्रु मदनलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

प्रार्थीगण

बनाम

1 पवन कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
2 माडूराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 एसएनजी के खाता सं. 13/29 में 3.289 है. प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा इसी चक के खाता सं. 53/50 में अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 के नाम से 3.289 हि. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके तहसील संगरिया के चक 1 एसएनजी के खाता सं. 13/29 प.नं. 214/150 मु.नं. 38 के किला नं. 7/2,8/2,13,14,17,18,23,24 में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। जिसमें आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की चिपती अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 1 एसएनजी के खाता सं. 53/50 प.नं. 214/150 मु.नं. 38 किला नं. 5 है। व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 1 एसएनजी के खाता सं. 36/29 प.नं. 214/150 मु.नं. 38 किला नं. 6 है। यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि प.नं. 214/150 मु.नं. 38 के किला नं. 7/2, 8/2,13,14,17,18,23,24 है। जिसके चिपते ही प.नं. 214/150 मु.नं. 38 का किला नं. 5,6 अप्रार्थीगण के है। जिसमें प्रार्थीगण को आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के किला नं. 5 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण 1 बिस्वा व किला नं. 6 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण व दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने हेतु सबसे सुलभ व नजदीक रास्ता प.नं 214/150 के मु.नं. 38 के कि.नं. 5 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण व दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जाता है तो प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 एसएनजी के प.नं. 214/150 मु.नं. 38 के कि.नं. 7/2, 8/2,13,14,17,18,23,24 कृषि भूमि में प्रवेश कर अपने खेत में पहुंच सकते है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में अन्य कोई रास्ता नजदीक नहीं लगता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता यदि मंजूर हो जाता है तो अप्रार्थीगण को भी सुविधा होगी, अप्रार्थीगण के खेत में टुकड़े नही होंगे तथा प्रार्थी को सुलभ रास्ता मिल जाएगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से जमीन के बदले जमीन एवं

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जमीन की कीमत दोनो देने के लिए तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से बार बार निवेदन किया पहले तो उक्त अप्रार्थीगण आजकल आजकल करते रहे परन्तु पिछले सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इनकार हो गया बस यही वाद कारण है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत हेतु है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व अन्दर मियाद है व दो रूपए के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को चक नं. 1 एसएनजी के पं.नं 214/150 के मु.नं. 38 के किलां नं. 1 एसएनजी के प.नं. 214/150 के मु.नं. 38 के किला नं. 5 में पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण 1 बिस्वा व किला नं. 6 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण व दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम कुल 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर रास्ता चालू करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवकता उपस्थित होकर भी जवाब प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 156 दिनांक 18.09.2024 द्वारा चक 1 एसएनजी के प.न. 214/150 मु.न. 38 के किला नं. 2,9,12 में रास्ता किला नं. 22 में बनी ढाणी हेतु चलता है जो कि प्रार्थीगण अन्य स्थान से थोड़ी दूरी पर चल रहा है जहा से रास्ता चहता है उसकी कहानी रास्ते से दूरी ज्यादा है अप्रार्थी के खेत के दो टुकडे होते है। विकल्प रास्ता मु.न. 38 के किला नं. 3 व 8 है नजदीकी रास्ता में किसी प्रकार का अवरूद्ध नही है पक्षकार आपस मे सहमत नही तथा रास्ते के बदले भूमि देने पर सहमत होने की सम्भवना होना बतलाते हुए प्रार्थीगण को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होने पर रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु <u>"रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता"</u> एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होता है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 1 एसएनजी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक नम्बर 1 एसएनजी में प.न. 214/150 मु.न. 38 के किला नं. 3 में 0.025 है. व किला नं. 8 में 0.025 है. निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

और इसके बदले में प्रार्थीगण का उक्तानुसार रकबा कम कर किला नं. 7 व 8 के चिपता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 7.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner